BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 18 अक्टूबर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर कुकर्म व हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 95,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त संजय शुकला पुत्र राम कुमार शुक्ला निवासी ग्राम फूला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा वर्ष-2020 में थाना खानपुर क्षेत्र निवासी एक बच्चे उम्र-08 वर्ष के साथ कुकर्म कर गला घोटकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 25.01.2020 को थाना खानपुर पर मुअसं–15/2020 धारा 363,377,302,201 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट पजीकृत किया गया जिसमे दिनांक 20.02.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 18.10.2024 को न्यायाधीश श्री तरुण कुमार सिंह (मा0 न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त संजय शुक्ला को आजीवन कारावास व 95,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री वरुण कोशिक, श्री सुनील शर्मा व श्री आशुतोष शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर